

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 14 फरवरी, 2025

सि.वि.(मु.) 244/2024

[CM(M) 244/2024]

उर्मिला गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री रजत वडेहरा, अधिवक्ता

बनाम

पूनम हरित और अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

द्वारा:

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री रविंदर डुडेजा

निर्णय (मौखिक)

न्या. श्री रविंदर डुडेजा

1. यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई याचिका है, जिसमें माननीय जिला न्यायाधीश, रोहिणी न्यायालय द्वारा सि.वा. संख्या 954/2017(CS No. 954/2017), जिसका शीर्षक "पूनम हरित बनाम देवेन्द्र यादव और अन्य" है, में दिनांक 06.10.2023 को पारित आदेश को अपास्त करने की मांग की गई है, जिसके तहत, विचारण न्यायालय ने धारा 151 सि.प्र.सं. सपठित आदेश 18 नियम 17 के तहत आगे के प्रति-परीक्षण के

उद्देश्य से अभि.सा. (PW) -1 को दोबारा बुलाने के आवेदन को खारिज कर दिया।

2. वर्तमान मामले में विवाद की सीमित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, वाद में दिए गए विस्तृत कथनों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है। संक्षेप में कहें तो, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस आशय से घोषणा के लिए एक वाद दायर किया कि याचिकाकर्ता के पक्ष में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित अचल संपत्ति के संबंध में स्वामित्व दस्तावेजों को अवैध, अमान्य, अस्तित्वहीन और आरंभिक रूप से शून्य घोषित किया जाए। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रत्यर्थी संख्या 2 और 3 के खिलाफ कब्जे और किराए तथा अंतःकालीन लाभ की वसूली की भी मांग की।

3. दिनांक 09.02.2023 को, अभि.सा. (PW) 1 के प्रति-परीक्षण के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने साक्षी को एक दस्तावेज दिखाया और उस दस्तावेज पर उसके हस्ताक्षर की पुष्टि मांगी, लेकिन प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि दस्तावेज की प्रकृति का वर्णन किए बिना ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। दोनों पक्षकारगण ने कहा कि वे निर्णयज विधि प्रस्तुत करेंगे, इसलिए प्रति-परीक्षण को स्थगित कर दिया गया।

4. दिनांक 15.09.2023 को, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पुनः बुलाए गए अभि.सा. (PW) -1 से प्रति-परीक्षण किया गया और उसे मुक्त कर दिया गया। दिनांक 15.09.2023 का आदेश इस प्रकार है:-

“15.09.2023

उपस्थित : श्री एस चतुर्वेदी, वादी के लिए विद्वान् अधिवक्ता  
श्री संजय दलाल, प्र-1 और प्र -2 के लिए  
विद्वान अधिवक्ता।  
श्री राजेश हमाल, प्र-3 के लिए विद्वान  
अधिवक्ता,  
अभि.सा. (PW)-1/वादी का आज प्रति-परीक्षण  
किया गया और उसे मुक्त कर दिया गया। शेष अभियोजन  
साक्ष्य के लिए मामला 24.01.2024 को पेश करें, जिसके  
लिए वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेशिका शुल्क  
दाखिल करने पर साक्षी को तलब करने के लिए कदम उठाए  
जाएं और मौके पर ही आहार राशि का भुगतान किया जाए।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अभि.सा. (PW) -1 से एक घंटे से अधिक समय तक प्रति-परीक्षण किया और इस सद्भावनापूर्ण विश्वास में पटियाला हाउस न्यायालय के लिए रवाना हो गए कि अभि.सा. (PW) -1 का प्रति-परीक्षण टाल दिया गया है। उसी दिन बाद में, उन्हें अभि.सा. (PW) -1 का प्रति-परीक्षण समाप्त होने की सूचना मिली। इसके बाद याचिकाकर्ता ने आदेश 18 नियम 17 के साथ धारा 151 सि.प्र.सं. के तहत अभि.सा. (PW) -1 को आगे के प्रति-परीक्षण के लिए

दोबारा बुलाने हेतु आवेदन दायर किया। हालाँकि, उक्त आवेदन को दिनांक 06.10.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया, जो इस प्रकार है:-

- “1. इस आदेश के अनुसार, दिनांक 16.09.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत वादी/अभि.सा.(PW) -1 को आगे/शेष प्रति-परीक्षण करने के लिए वापस बुलाने हेतु दायर किया गया आवेदन निर्णीत माना जाएगा।
2. वादी के द्वारा तथआ उसकी ओर से इस आवेदन का कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया है। हालाँकि, वादी के अधिवक्ता ने इस विषय पर विस्तार से बहस की है।
3. मैंने प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता और वादी के विद्वान अधिवक्ता की बात सुनी है और अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।
4. इस आवेदन में प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने न्यायालय के आचरण पर कुछ आरोप लगाए हैं, जैसा कि आवेदन के पैरा संख्या 6, 7, 8 और 9 में उल्लेख किया गया है। हालांकि, आवेदन के इन पैराग्राफों में बताए गए तथ्य बिल्कुल गलत हैं क्योंकि दिनांक 15.09.2023 की आदेश पुस्तिका प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता की उपस्थिति में लिखवाई गई थी, जिसमें विशेष रूप से यह लिखा और नोट किया गया है कि "अभि.सा. (PW) 1/वादी से आज प्रति-परीक्षण किया गया और उसे मुक्त कर दिया गया"। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता के इस कथन में कोई सच्चाई नहीं है कि उन्हें यह आभास था कि अभि.सा. (PW) 1 के प्रति-परीक्षण टाल दी गई थी।
5. उपरोक्त के अलावा, 15.09.2023 को, अभि.सा. (PW) 1 से लगभग दो घंटे तक लंबा प्रति-परीक्षण किया गया, जैसा कि स्वयं इस आवेदन में प्रतिवादी संख्या 3 के अधिवक्ता ने बताया है। इतना ही नहीं, अभि.सा. (PW) 1/वादी से प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दिनांक 08.04.2022, 12.04.2022, 26.04.2022, 14.11.2022, 09.02.2023 और 15.09.2023 को प्रति-परीक्षण किया गया है। इन

सभी तारीखों पर, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अभि.सा. (PW) 1 से विस्तृत रूप से प्रति-परीक्षण किया गया है।

6. प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आवेदन में अभि.सा. (PW) 1 को आगे के प्रति-परीक्षण के लिए वापस बुलाने के लिए दिए गए कारण संतोषजनक नहीं हैं। इस न्यायालय को भलीभांति याद है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता के हाथ में कई पृष्ठ थे जिन पर उन्होंने अभि.सा. (PW) -1 से पूछे जाने वाले प्रश्न लिखे थे और न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता से यह पूछे जाने के बाद ही कि क्या उन्होंने अभि.सा. (PW) -1 से सभी प्रश्न पूछ लिए हैं, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने के बाद ही अभि.सा. (PW) -1 के प्रति-परीक्षण उनकी उपस्थिति में समाप्त की गई थी।

7. उपरोक्त के मद्देनजर, मुझे दिनांक 16.09.2023 को आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से दायर आवेदन में कोई सार नहीं मिलता है। तदनुसार इसे खारिज किया जाता है।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा 09.02.2023 को उठाई गई आपत्ति पर अभी निर्णय होना बाकी था। इसलिए याचिकाकर्ता ने उक्त पहलू के संबंध में कोई और प्रश्न नहीं पूछा। यह निवेदन किया जाता है कि दस्तावेजों को बाहर करने के महत्वपूर्ण पहलू के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 के प्रति-परीक्षण को पूरा हो जाना नहीं कहा जा सकता और प्रत्यर्थी को 15.09.2023 को मुक्त नहीं किया जाना चाहिए था।

7. यह निवेदन किया जाता है कि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का एक न्यायालयी मामला दोपहर 2.00 बजे पटियाला हाउस न्यायालय में सूचीबद्ध था और इसलिए पटियाला हाउस न्यायालय पहुंचने की हड़बड़ी में,

अधिवक्ता ने गलत समझा और सद्भावनापूर्वक यह मान लिया और इस धारणा में बने रहे कि अभि.सा. (PW) -1 का आगे का प्रति-परीक्षण टाल दिया गया है।

8. यह कहा गया है कि किसी साक्षी से प्रति-परीक्षण करने का अधिकार एक अविभाज्य, मूल्यवान अधिकार है और निष्पक्ष विचारण का एक अभिन्न अंग है, और इसलिए, याचिकाकर्ता को ऐसे अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।

9. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका का जोरदार खंडन करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सतर्कता से प्रति-परीक्षण पूरा कर लिया था और आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन दाखिल करके वह प्रति-परीक्षण में रह गई कमियों को भरना चाहते हैं। **सैलो राम और अन्य बनाम कुलदीप चंद और अन्य 2002 SCC Online HP 44** के मामले में हिमाचल उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि आदेश 18 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन की अस्वीकृति के आक्षेपित आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण किया जा सकता है। पुनरीक्षण सबसे कारगर उपाय होने के कारण, भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका विचारणीय नहीं है।

10. आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. इस प्रकार है :-

“न्यायालय साक्षी को वापस बुला सकता है व परीक्षण कर सकता है।  
- न्यायालय किसी भी वाद के किसी भी चरण में किसी भी ऐसे साक्षी को वापस बुला सकता है जिसका परीक्षण किया जा चुका है और उस समय लागू साक्ष्य कानून के अधीन रहते हुए उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो न्यायालय उचित समझे। ”

11. उपरोक्त प्रावधान को ध्यानपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि किसी साक्षी को केवल तभी पुनः बुलाया जा सकता है जब न्यायालय उससे कोई प्रश्न पूछना चाहता हो। हालाँकि, न्यायिक निर्णयों द्वारा इस प्रावधान का दायरा विस्तारित कर दिया गया है और इसमें पक्षकारगण द्वारा साक्षी को पुनः बुलाने के लिए किए गए आवेदन भी शामिल हैं। इस प्रकार, आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. न्यायालय को विवेकाधिकार प्रदान करता है जिसका प्रयोग या तो स्वयं की पहल पर या वाद के किसी भी पक्षकारगण द्वारा दायर आवेदन पर किया जा सकता है। यहां तक कि जिन फैसलों ने सि.प्र.सं. के आदेश 18 नियम 17 के दायरे का विस्तार किया है, वे भी स्पष्ट करते हैं कि साक्षियों को दोबारा बुलाना केवल न्यायालय के समक्ष किसी भी संदेह को स्पष्ट करने के उद्देश्य से या न्यायालय द्वारा अपने समक्ष विवाद की सटीक रूपरेखा के संबंध में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है।

12. **राम रति बनाम मांगे राम (2009) 4 SCC 410**, के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया :-

“11. प्रत्यर्थी ने न्याय के हित में या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आदेश देने हेतु न्यायालय की अंतर्निहित

शक्तियों का आवाहन करते हुए, सि.प्र.सं. की धारा 151 के सपठित नियम 17 के तहत आवेदन दायर किया। नियम 17 का मूल उद्देश्य न्यायालय को किसी भी स्थिति या संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है, और न्यायालय स्वतः संज्ञान से या किसी पक्ष के अनुरोध पर, इस संबंध में किसी भी स्तर पर किसी भी साक्षी को पुनः बुला सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वाद के किसी भी चरण में किया जा सकता है। निस्संदेह, एक बार जब न्यायालय किसी स्पष्टीकरण के उद्देश्य से साक्षी को दोबारा बुलाता है, तो न्यायालय पक्षकारगण को न्यायालय द्वारा अपेक्षित या अनुमत स्पष्टीकरण के लिए साक्षी से पूछताछ करने की अनुमति दे सकता है। नियम 17 के अंतर्गत दी गई शक्ति का इससे अधिक विस्तार नहीं किया जा सकता। इस शक्ति का प्रयोग किसी साक्षी द्वारा पहले से प्रस्तुत साक्ष्य में छूटी हुई जानकारी को भरने के लिए नहीं किया जा सकता। इसका प्रयोग साक्ष्य में किसी कमी को भरने के लिए भी नहीं किया जा सकता। किसी भी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न हो, यह भी नियम 17 लागू करने का मान्य आधार नहीं है। निस्संदेह, यह न्यायालय का विवेकाधीन अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग अत्यंत संयमित रूप से किया जाना चाहिए, और यदि न्यायालय इस प्रावधान को लागू करने का निर्णय लेता है, तो उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस आधार पर विचारण अनावश्यक रूप से लंबा न खींचे।

13. **वदिराज नागप्पा वर्नेकर बनाम शरदचंद्र प्रभाकर गोगेट (2009) 4 SCC**

410 में, न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण पैरा में आदेश 18 नियम 17

सि.प्र.सं. के दायरे की व्याख्या की :-

“25. हमारे विचार में, यद्यपि आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. के प्रावधानों की व्याख्या पक्षकारगण द्वारा साक्षियों को वापस बुलाने के लिए दायर किए जाने वाले आवेदनों को शामिल करने के लिए की गई है, उक्त नियम का मुख्य उद्देश्य न्यायालय को वाद की सुनवाई करते समय पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के संबंध में किसी भी

संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम बनाना है। उक्त प्रावधानों का उद्देश्य किसी ऐसे साक्षी के साक्ष्य में छूटी हुई कमियों को पूरा करना नहीं है जिसका पहले ही परीक्षण हो चुका है।

\*\*\*\*

28. सि.प्र.सं. के आदेश 18 नियम 17 के प्रावधानों के तहत शक्ति का प्रयोग सीमित रूप से और उचित मामलों में किया जाना चाहिए, न कि सामान्य नियम के रूप में केवल इस आधार पर कि उसकी प्रत्याह्वान और पुनःपरीक्षण से पक्षकारगण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा। यह सि.प्र.सं. के आदेश 18 नियम 17 की योजना या मंशा नहीं है।

29. यह अब सर्वविदित है कि सि.प्र.सं. के आदेश 18 नियम 17 के तहत किसी भी साक्षी को दोबारा बुलाने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा या तो अपने अनुसार या वाद के किसी भी पक्षकारगण द्वारा दायर आवेदन पर किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस शक्ति का प्रयोग साक्षी के पहले से दर्ज साक्ष्य में मौजूद कमियों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उसके परीक्षण के दौरान उत्पन्न हुई किसी भी अस्पष्टता को स्पष्ट करने के लिए किया जाना चाहिए।

14. के.के. वेलसामी बनाम एन. पलानीसामी (2011) 11 SCC 275, के मामले में, आदेश 18 नियम 17 के दायरे को पैराग्राफ 9 और 10 में संक्षेप में समझाया गया है, जो नीचे उद्धृत हैं :-

“9. संहिता के आदेश 18 नियम 17 के तहत न्यायालय किसी भी वाद के किसी भी चरण में किसी भी साक्षी को, जिसका परीक्षण किया जा चुका है (उस समय लागू साक्ष्य विधि के अधीन रहते हुए), वापस बुला सकता है और उससे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जो वह उचित समझे। आदेश 18 नियम 17 के तहत किसी भी साक्षी को वापस बुलाने की शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा या तो स्वयं के

अनुसार या वाद के किसी भी पक्ष द्वारा न्यायालय से उक्त शक्ति का प्रयोग करने का अनुरोध करते हुए दायर किए गए आवेदन पर किया जा सकता है। यह शक्ति विवेकाधीन है और इसका प्रयोग न्यायालय द्वारा पक्षकारगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए, उपयुक्त मामलों में ही किया जाना चाहिए।

यह शक्ति किसी ऐसे साक्षी के साक्ष्य में छूटी हुई जानकारी को भरने के लिए अभिप्रेत नहीं है जिसकी पहले ही जांच हो चुकी है। (देखें वदिराज)

10. संहिता के आदेश 18 नियम 17 में ऐसा प्रावधान नहीं है जिसका उद्देश्य पक्षकारगण को किसी भी साक्षी को उनकी आगे के मुख्य परीक्षण या प्रति-परीक्षण के लिए वापस बुलाने या अतिरिक्त सामग्री या साक्ष्य प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना हो, जिसे साक्ष्य दर्ज करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका था। आदेश 18 नियम 17 मुख्य रूप से एक ऐसा प्रावधान है जो न्यायालय को किसी भी मुद्दे या संदेह को स्पष्ट करने में सक्षम बनाता है, जिसके तहत न्यायालय स्वतः संज्ञान लेकर या किसी भी पक्ष के अनुरोध पर किसी भी साक्षी को वापस बुला सकता है, ताकि न्यायालय स्वयं प्रश्न पूछ सके और उत्तर प्राप्त कर सके। जब किसी साक्षी को इस तरह के स्पष्टीकरण के उद्देश्य से दोबारा बुलाया जाता है, तो वह निश्चित रूप से पक्षकारगण को कुछ प्रश्न पूछकर उसकी सहायता करने की अनुमति दे सकता है।

15. उपरोक्त तीनों निर्णयों का हवाला देते हुए, इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने श्रीमती सुनीता देवी बनाम श्री राज कुमार सिंघल, 2022/DHC/004692, के मामले में कानूनी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया :-

“13. राम रति के उपरोक्त अंशों का समग्र अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि, परंपरागत रूप से, आदेश 18 नियम 17 के तहत किसी साक्षी को प्रत्याह्वान का उद्देश्य पहले से दर्ज साक्ष्य के बावजूद मौजूद किसी भी संदेह को स्पष्ट करना है और इस संदर्भ में, न्यायालय पक्षकारगण की सहायता लेने और पक्षकारगण को दोबारा बुलाए गए साक्षी से पूछताछ करने की अनुमति देने का हकदार है। फिर भी, अपवाद के मामलों में, पक्षकारगण को आदेश 18 नियम 17 के तहत आगे के परीक्षण या प्रति-परीक्षण के लिए साक्षियों को वापस बुलाने के लिए आवेदन करने की अनुमति भी दी जा सकती है। हालांकि, ऐसे मामलों में न्यायालय सि.प्र.सं. के आदेश 18 नियम 17 सहपठित धारा 151 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। सि.प्र.सं. की धारा 151 ऐसे मामले में किस प्रकार लागू होगी, यह भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राम रति मामले के पैरा 16 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है :-

“16. सि.प्र.सं. की धारा 151 का प्रयोग करके किसी साक्ष्य को पुनः खोलने या नए साक्ष्य प्रस्तुत करने के संबंध में उचित मार्गदर्शन के.के. वेलुसामी (पूर्वोक्त) में भी उपलब्ध है। पैराग्राफ 14 उद्धृत करते हुए :-

14. संहिता के संशोधित प्रावधानों में यह परिकल्पना और अपेक्षा की गई है कि साक्ष्य प्रस्तुत करने के तुरंत बाद विचारण न्यायालय दलीलें सुने और फिर निर्णय सुनाए। इसलिए, नए साक्षी की जांच के लिए साक्ष्य को दोबारा खोलने या किसी साक्षी को आगे की जांच के लिए प्रत्याह्वान का स्पष्ट प्रावधान आवश्यक नहीं था। लेकिन यदि साक्ष्य प्रस्तुत करने और बहस सुनने के बीच किसी भी कारण से समय अंतराल हो जाता है, और यदि उस दौरान किसी पक्ष को ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त होता है जो उसे पहले प्राप्त नहीं हो सका था, या दूसरे पक्ष के आचरण या कार्रवाई के संबंध में कोई साक्ष्य सामने आता है, तो न्यायालय संहिता की धारा 151 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, यदि वह न्याय के हित में प्रासंगिक

और आवश्यक हो, तो न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाली शर्तों के अधीन, ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है।”

14. परिणामस्वरूप कानूनी स्थिति यह है कि, चाहे आदेश 18 नियम 17 के अंतर्गत हो या आदेश 18 नियम 17 सहपठित 151 के के अंतर्गत, किसी पक्ष को किसी साक्षी को आगे के परीक्षण या प्रति-परीक्षण के लिए दोबारा बुलाने की अनुमति दी जा सकती है यदि (i) उक्त साक्षी के पहले से दर्ज किए गए साक्ष्य के बाद कोई संदेह शेष रह जाता है जिसे स्पष्ट किया जाना आवश्यक है, या (ii) साक्षी के साक्ष्य दर्ज किए जाने के बाद, जिस पक्ष ने प्रत्याह्वान की मांग की है, उसे ऐसे सबूत मिले हैं जिसे वह पहले प्राप्त नहीं कर सकते थे, या (iii) दूसरे पक्ष के आचरण या कार्रवाई के संबंध में साक्ष्य सामने आ गया है।

16. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 18 नियम 17 धारा सहपठित 151 सि.प्र.सं. के तहत आवेदन में अभि.सा. (PW) -1 को साक्षी के रूप में वापस बुलाने की मांग करने वाला आधार, राम रति (पूर्वोक्त) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा परिकल्पित किसी भी आवश्यकता के अंतर्गत नहीं आता है। केवल इतना कहा गया है कि अभि.सा. (PW) -1 का प्रति-परीक्षण दिनांक 15.09.2023 को पूरा नहीं हो सका था और प्रतिवादी संख्या 3 को वादी की शेष प्रति-परीक्षण पूरा करने का अवसर दिए बिना वादी के साक्षी को मुक्त करने का कोई अवसर नहीं था।

17. विचारण न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में स्पष्ट किया है कि दिनांक 15.09.2023 का आदेश याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता की उपस्थिति में

सुनाया गया था और आदेश पत्र में विशेष रूप से दर्ज है कि "अभि.सा. (PW) 1/वादी से आज प्रति-परीक्षण किया गया और उसे मुक्त कर दिया गया।" विचारण न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा है कि अभि.सा. (PW) -1 से विभिन्न तिथियों यानी 08.04.2022, 12.04.2022, 26.04.2022, 14.11.2022, 09.02.2023 और 15.09.2023 को विस्तृत प्रति-परीक्षण किया गया था। दरअसल, माननीय विचारण न्यायाधीश के अनुसार, अभि.सा. (PW) -1 से दिनांक 15.09.2023 को लगभग दो घंटे प्रति-परीक्षण किया गया था। विचारण न्यायालय ने यह भी दर्ज किया कि अभि.सा. (PW) -1 का प्रति-परीक्षण तभी बंद किया गया जब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से इस बात की पुष्टि मांगी गई कि अभि.सा. (PW) -1 से सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अतः याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि उन्हें पटियाला हाउस न्यायालय जाने की जल्दी थी और वे इस धारणा में थे कि अभि.सा. (PW) -1 का आगे का प्रति-परीक्षण टाल दिया गया है, मामले के अभिलेख के विपरीत है और इसलिए स्वीकार्य नहीं है।

18. चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कई तारीखों पर अभि.सा. (PW) -1 से विस्तृत प्रति-परीक्षण किया था, इसलिए आदेश 18 नियम 17 सि.प्र.सं. के तहत दायर किया गया आवेदन कमियों को भरने के उद्देश्य से दायर किया गया प्रतीत होता है, जो कि जैसा कि चर्चा की गई है, अनुमेय नहीं है।

19. इस स्थिति को देखते हुए, मैं इस मामले को भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 द्वारा इस न्यायालय को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता।
20. तदनुसार याचिका खारिज की जाती है।

**न्या. रविंदर डुडेजा**

**14 फरवरी, 2025**

आरएम

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

*अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*